आदेश

कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) महामारी के दृष्टिगत नवीन फल–सब्जी मण्डी स्थल, सचेण्डी (चकरपुर) कानपुर नगर में कृषकों एवं व्यापारियों, केता–विकेता एवं मण्डी मजदूरों व पल्लेदारों के बड़ी संख्या में आने के कारण नवीन फल–सब्जी मण्डी स्थल सचेण्डी (चकरपुर), कानपुर में उपस्थित होने वाले केता–विकेताओं के बीच सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराने के दृष्टिगत नवीन फल–सब्जी मण्डी में दुकानों के खुलने की आल्टरनेट व्यवस्था लागू की जा रही है अर्थात सम दिनांकों में सम संख्या वाली दुकानें/नीलामी चबूतरों के स्थान खुलेंगें और विषम दिनांकों में विषम संख्या वाली दुकानें/नीलामी चबूतरों के स्थान खुलेंगें। सम संख्या दिनांकों में विषम संख्या वाली दुकानें/नीलामी चबूतरों के भाग बन्द रहेगें। इसीतरह विषम दिनांकों में सम संख्या वाली दुकानें/नीलामी चबूतरों के भाग बन्द रहेगें।

इसके साथ ही साथ कृषि उत्पादन मण्डी समिति, कानपुर के अन्तर्गत नवीन खाद्यान्न मण्डी स्थल नौबस्ता एवं नवीन फल–सब्जी मण्डी स्थल सचेण्डी (चकरपुर) कानपुर के हॉट स्पॉट एरिया में रहने वाले व्यापारियों, पल्लेदारों, मुनीमों व केता–विकेता का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया जाता है।

27/04/20

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

पत्रांक 3644/ओएसडी–डीएम कानपुर/कोविड–16/2020 **दिनांक : 28–04–2020**

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल कानपुर को सादर सूचनार्थ।
2–डी0आई0जी0/एस0एस0पी0 कानपुर नगर
3–नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
4–मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
5–समस्त अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर।
6–नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, कानपुर नगर।
7–उप निदेशक, मण्डी परिषद, कानपुर नगर।
8–नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
9–उपायुक्त, जी0एस0टी0 कानपुर नगर।
10–उप निदेशक, सूचना, कानपुर नगर को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ
11–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कानपुर नगर।
12–थानाध्यक्ष, नौबस्ता एवं सचेण्डी कानपुर नगर।
13–मण्डी सचिव, कानपुर नगर।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।